ग्राम पंचायत चमयाडी, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024

भाग-1

1 **(क) प्रस्तावना :-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत चमयाडी, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों का प्रथम अंकेक्षण कार्य हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत चमयाडी में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत रहे :-

प्रधान :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री अशोक कुमार	01.04.2022 से 31.03.2024

पंचायत सचिवः-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री नरेश कुमार	01.04.2022 से 04.08.2023
2.	श्री अश्वनी कुमार	05.08.2023 से 31.03.2024

(ख़) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत चमयाडी, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना के लेखों अवधि 01.04.22 से 31.03.24 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से था :-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1)	6.1	अनुदानों का उपयोग हेतु शेष	24.17
2)	7.1	पंचायत राजस्व गृहकर की वसूली शेष	0.24
3)	7.2	विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा न करना	0.05
4)	8.1	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना निर्माण सामग्री का क्रय करना	1.67
5)	8.2	निर्माण सामग्री का अनियमित क्रय	1.04
6)	8.3	क्रय की गई सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना	0.74
7)	9.1	आपूर्तिकर्ता के बिलों से रॉयल्टी की कटौती न करना	0.81
8)	9.2	जी.एस.टी. (टी.डी.एस.) की कटौती को सम्बन्धित विभाग में जमा न करना	0.12
9)	9.4 व 9.5	मनरेगा मद के अंतर्गत अधिक भुगतान करना	0.04

भाग-2

2 वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत चमयाडी, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 तक के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री देव राज, कनिष्ठ लेखा परीक्षक

द्वारा दिनांक 29/07/2024 से 03/08/2024 तक ग्राम पंचायत चमयाडी के कार्यालय में किया गया | आय व्यय की विस्तृत जांच हेतू मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व: स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया :-

वित्तीय वर्ष	**आय**	**व्यय**
2022-23	03/2023	09/2022
2023-24	02/2024	06/2023

"इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है | उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतू हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा"

3 **अंकेक्षण शुल्क :-**

ग्राम पंचायत चमयाडी, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क **₹4800** आंका गया | उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट / मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित करने हेतू अंकेक्षण अधियाचना संख्या 653/2024 दिनांक 03/08/2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में ग्राम पंचायत चमयाडी द्वारा काँगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सीमित बंगाणा के बैंक ड्राफ्ट संख्या KAA 281116 दिनांक 16/08/2024 द्वारा उक्त राशि को निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित कर दिया गया |

4 (क) **वित्तीय स्थिति:-**

सचिव, ग्राम पंचायत चमयाडी द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 634/2024 दिनांक 29/07/2024 के प्रत्युतर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार पंचायत के अवधि 04/22 से 03/24 के लेखों की संकलित वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी, जिसका विस्तृत विवरण **सलंग्न परिशिष्ट "क"** पर दिया गया है | ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान तीन रोकड़ बहियों अर्थात् स्वः स्त्रोत व अनुदान (15वें वितायोग सहित समेकित रोकड़ बही) Online, स्वच्छ भारत मिशन (PFMS) व मनरेगा (online) का रख-रखाव किया गया था |

संकलित वित्तीय स्थिति						
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
क्रम संख्या	**वर्ष**	**प्रारम्भिक शेष (₹)**	**आय ब्याज सहित (₹)**	**कुल योग (₹) (3+4)**	**व्यय (₹)**	**अंतिम शेष (₹) (5-6)**
1	2022-23	2698751.75	5236485	7935236.75	5344127	2591109.75
2	2023-24	2591109.75	3554882.64	6145992.39	3729395.64	2416596.75

(ख) **बैंक समाधान विवरणी :-**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत चमयाडी के अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31.03.24 को **निम्नानुसार** रोकड़ बही तथा बैंक खातों में अन्तर **₹25** था:-

1)	दिनांक 31.03.24 को रोकड़ बही खाता **पैरा 4(क)** का अंतशेष	2416596.75
2)	दिनांक 31.03.24 को बैंक का अन्तशेष **(परिशिष्ट क-1)**	**2415906.75**
3)	दिनांक 31.03.24 को हस्तगत राशि	665.00

4)	योग (2+3)	2416571.75
5)	अन्तर (4-1)	25.00

(ग) रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करने के कारण ₹25 के अन्तर बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायत की रोकड़ बही के शेषों का बैंक खातों के शेष से मिलान करना अनिवार्य है | जबकि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जिस कारण से दिनांक 31.03.24 को स्व: स्त्रोत व अनुदान (15वें वित्तायोग सहित समेकित) शीर्ष की रोकड बही एवं बैंक के अंतिम शेष में **₹25** का अन्तर पाया गया | अत: इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 640/2024 दिनांक 01/08/2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 05 दिनांक 03/08/2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि अंतर के कारणों बारे अभिलेख से पड़ताल करने उपरांत आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा | अतः अपेक्षित कार्यवाही करने के उपरान्त अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

5 **सावधिक निवेश :-**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 634/2024 दिनांक 29/07/2024 की अनुपालना में पंचायत सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 06 दिनांक 03/08/2024 द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार पंचायत का अवधि 04/22 से 03/24 तक सावधि जमा योजना में निवेश शून्य था | अत: पंचायत सचिव को परामर्श दिया जाता है कि स्वयं स्त्रोत तथा अनुदान से सम्बन्धित रोकड़ बहियों का अलग-अलग रख-रखाव करके, स्वयं स्त्रोत में आवश्यकता से अधिक पड़ी राशि को हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार सावधि जमा योजना में निवेशित

किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके। अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

6 अनुदान

6.1 अनुदान ₹24.17 लाख उपयोग हेतु शेष :-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार पंचायत द्वारा प्राप्त विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है। पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 634/2024 दिनांक 29/07/2024 के प्रत्युतर में प्रस्तुत सूचना जोकि **(परिशिष्ट क)** पर सलंग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक अनुदान में (स्वः स्त्रोत सहित) प्राप्त राशियों में ₹2416596.75 की राशि उपयोग हेतू शेष थी | ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतू प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय करना अपेक्षित है। अत: ऐसे अनुदान जिनकी विहित अवधि समाप्त हो चुकी हो, तो इसका कारण स्पष्ट करते हुए सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए|

6.2 अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 88 के अनुसार पंचायत को दिए गए अनुदानों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है, जिसके लिए अनुदान मंजूर किए गए हैं एवं उस अधिकारी को जिसने अनुदान मंजूर किए हैं, को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है | इस सन्दर्भ मे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 634/2024 दिनांक 29/07/2024 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 06 दिनांक 03/08/2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि विभिन्न अनुदानों के व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतू प्रस्तुत कर दिए जाएंगे | अतः अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना शीघ्र अंकेक्षण को दिखाई जाए।

6.3 अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न करवाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख उपलब्ध करवाने हेतु जिम्मेदार होगा। अंकेक्षण अधियाचना संख्या 634/2024 दिनांक 29/07/2024 द्वारा मांगी गई सूचना के प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या 06 दिनांक 03/08/2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किए गए अनुदानों के आदेश / स्वीकृति पत्र पंचायत में प्राप्त नही हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरांत मौखिक रूप में अनुदानों के प्रयोजन बारे सूचित किया जाता है यह एक अनुचित प्रक्रिया है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता | अतः अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सकता कि पंचायत द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान किस उद्देश्य / कार्य विशेष के लिए प्राप्त किए गए थे | अतः उक्त आदेश / स्वीकृति पत्र खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

स्वयं स्त्रोत

7.1 पंचायत राजस्व ₹0.24 लाख की वसूली हेतु शेष :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 के अनुसार पंचायत को सम्पत्ति कर / गृहकर की वसूली करना अपेक्षित था | पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 634/2024 दिनांक 29/07/2024 के क्रम संख्या 4 के प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या 06 दिनांक 03/08/2024 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना का अवलोकन करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.2024 तक पंचायत राजस्व गृहकर राशि **₹24480 (परिशिष्ट ख अनुसार)** वसूली हेतू शेष थी :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2022-23	00	12420	12420	00	12420
2023-24	12420	12420	24840	360	24480

अतः गृहकर की राशि की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व इसकी शीघ्र वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि ₹0.05 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाना :-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या-SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200 प्रति पंजीकरण तथा देरी के लिए दोगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है जिसे समय- समय पर वसूल करने के उपरान्त हि० प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित लेखा शीर्ष 0070-60-108-01 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में **(सलंग्न परिशिष्ट ग अनुसार)** वसूली गई राशि **₹4600** को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है :-

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि (₹)
1	2022-23	2800
2	2023-24	1800
	योग	**4600**

अतः इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 641/2024 दिनांक 01/08/2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 05 दिनांक 03/08/2024 द्वारा स्पष्ट किया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा। अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई सम्पूर्ण राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

8.1 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹1.67 लाख की निर्माण सामग्री का क्रय करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक / स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं | व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत पंचायत द्वारा **निम्न विवरणानुसार ₹167370** की सामग्री का क्रय निविदाएँ आमंत्रित किए बिना ही किया गया था, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 643/2024 दिनांक 01/08/2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 05 दिनांक 03/08/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित अनियमितता को भविष्य में नहीं दोहराया जाएगा| उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि उक्त क्रय के सन्दर्भ में किया गया भुगतान नियमों के विपरीत है | अतः उक्त व्यय को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए | सचिव को परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में नियमानुसार ही सामग्री का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए|

क्रमांक	शीर्ष का नाम	माह	बिल संख्या व दिनांक	फर्म का नाम एवं पता	क्रय सामान का विवरण	राशि (₹)
1	Own & GIA (Consolidated)	06/23	131 18.05.23	M/s Thakur computer Bangana	Computer repair	2500
2	Own & GIA (Consolidated)	06/23	0087 01.06.23	M/s Deepak sharma Una	2 No. Digital signature	3540

3	MNREGA	06/23	1462 to 1465 05.12.22	Pankaj Trading Co. Vill. Ritt Satrukha	Steel	16133
					योग	**16737**

8.2 ₹1.04 लाख की निर्माण सामग्री का अनियमित क्रय :-

सचिव (RD & PR) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या No. PCH-HC(10)FFC-Misc-60819-978 दिनांक 13.11.2018 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण सामग्री पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स का क्रय हिमाचल प्रदेश सरकार के भण्डार नियन्त्रण के Rate Contract अथवा GeM Portel से किया जाना अपेक्षित था तथा यदि उक्त निर्माण सामग्री हिमाचल प्रदेश सरकार के भण्डार नियन्त्रण के Rate Contract अथवा GeM Portel से उपलब्ध नहीं होती है, तो पंचायत द्वारा उक्त निर्माण सामग्री का क्रय खुले बाजार से निविदाएँ आमंत्रित करके किया जा सकता है | परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा चयनित माह 06/2023 में **₹104000** की निर्माण सामग्री पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स का क्रय हि० प्र० सरकार के भण्डार नियन्त्रण के Rate Contract अथवा GeM Portel से अनुपलब्धता सुनिश्चित किए बिना ही खुले बाजार से निविदाएँ आमंत्रित करके किया गया था | इस सन्दर्भ मे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 648/2024 दिनांक 01/08/2024 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 05 दिनांक 03/08/2024 द्वारा सूचित किया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि दौरान पेवर ब्लॉक्स का क्रय खुले बाजार से मात्र तीन नंबर निविदाएँ आमंत्रित करके किया गया था, जबकि यह क्रय उपरोक्त निर्देशों के अनुसार किया जाना वांछित था तथा भविष्य में उपरोक्त वर्णित पत्रानुसार जारी निर्देशों के अनुसार पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स के क्रय हेतू कार्यवाही अमल में लाई जाएगी | अतः उक्त व्यय को सक्षम प्राधिकारी से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स का क्रय करना सुनिश्चित करें :-

क्रम संख्या	मद	वाउचर संख्या	माह	बिल संख्या	विवरण	राशि(18% GST सहित) (₹)
1	मनरेगा	शून्य	06/23	2206	3000 टाईल / पेवर @ 13/- प्रति पेवर	39000
2	मनरेगा	शून्य	06/23	2209	3000 टाईल / पेवर @ 13/- प्रति पेवर	39000
3	मनरेगा	शून्य	06/23	2211	2000 टाईल / पेवर @ 13/- प्रति पेवर	26000
					योग	**104000**

8.3 ₹0.74 लाख सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 और 72 के अनुसार स्टॉक रजिस्टर का रख-रखाव व स्टोर / स्टॉक की प्राप्ति व खपत सम्बन्धी अभिलेख तैयार किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/24 के चयनित माह 09/2022 व 06/2023 में **निम्न विवरणानुसार ₹74405** की सामग्री का क्रय किया गया था, लेकिन उक्त क्रय किए गए सामान की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत / जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख दर्ज नहीं था | उपरोक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 642/2024 दिनांक 01/08/2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत चमयाडी के ध्यानार्थ लाया गया | प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 05 दिनांक 03/08/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त स्टॉक प्रविष्टियाँ स्टॉक रजिस्टर में कर ली जाएगी | अत: वांछित अभिलेख तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त सम्पूर्ण क्रय की गई सामग्री की सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत से सम्बन्धित

अभिलेख तैयार करने के उपरांत सत्यापनार्थ हेतू अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए |

क्रमांक	शीर्ष का नाम	भुगतान माह	बिल संख्या व दिनांक	फर्म / व्यक्ति का नाम एवं पता	क्रय सामान का विवरण	राशि (₹)
1	15th fc	09/22	32782 17.09.22	HIMURJA UNA	4NO. SOLAR LIGHTS	56692
2	15th fc	09/22	32778 14.09.22	HIMURJA UNA	1NO. SOLAR LIGHTS	14173
3	Own & GIA (Consolidated)	06/23	0087 01.06.23	M/s Deepak sharma Una	2 No. Digital signature	3540
					योग	**74405**

9.1 आपूर्तिकर्ता के बिलों से ₹0.81 लाख रॉयल्टी की कटौती न करना :-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास "फार्म डब्ल्यू" या सप्लीमेंटरी पास "फार्म एक्स" उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी के साथ करना होगा | परन्तु निदेशक, पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या एक्स.ई.एन. (आर. डी. एवं पी. आर.) डी.बी. जनरल/2023-1/204192/2023-34307-30, दिनांक 02.11.2023 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय हि0प्र0 के आदेशों की अनुपालना में अब ठेकेदार/विक्रेता से खनन सामग्री की आपूर्ति पर रायल्टी

की कटौती नहीं की जाएगी तथा आपूर्ति हेतु भुगतान उनके द्वारा फॉर्म 'एक्स' या 'डब्ल्यू' प्रस्तुत करने पर ही किया जाएगा।

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह 09/2022 व 06/2023 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री जैसे पत्थर,रेत, बजरी इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रांजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए | परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को सलंग्न **परिशिष्ट "घ"** अनुसार **₹80735** का अनियमित भुगतान किया गया | इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 649/2024 दिनांक 02/08/2024 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 05 दिनांक 03/08/2024 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित रॉयल्टी की कटौती नहीं की गई है जिसे भविष्य में रॉयल्टी नियमानुसार काटी जाएगी अथवा ट्रांजिट पास फार्म लिया जाएगा | उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ट्रांजिट पास की अनुपस्थिति में आपूर्तिकर्ता को खनन सामग्री का भुगतान रॉयल्टी की कटौती 25% पेनल्टी सहित करने के पश्चात किया जाना अपेक्षित था |

अत: **₹80735** की रॉयल्टी की कटौती न करके किये गये अनियमित भुगतान से सम्बन्धित मामला जिला के खनन अधिकारी से उठाया जाए व तदानुसार इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके हिमाचल प्रदेश सरकार के आय लेखा शीर्षक: "0853-Non Ferrous Mining and Metallurgical Industries, 102-Mineral Concession Fees and Royalties, 81-Other receipts" में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

9.2 आपूर्तिकर्ता के भुगतान बिलों से स्त्रोत पर ₹0.12 लाख की जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करना :-

हिमाचल प्रदेश जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 51 तथा हि.प्र. आवकारी एवं कराधान विभाग के पत्र संख्या 12-4/78 EXN-TAX-Part(278/25)-29056 दिनांक 29/09/2018 के अनुसार किसी भी व्यक्ति / फर्म / संस्था / स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग (Person/HUF/Firm/Local authority / Govt. Deductor)

द्वारा संविदाकार व्यक्ति, फर्म को सेवाएं तथा वस्तुएं प्रदान करने के बदले एक वित्तीय वर्ष में **₹**250000 से अधिक राशि के भुगतान पर 2% (1% सी.जी.एस.टी. + 1% एस.जी.एस.टी.-अन्तर्राज्यीय आपूर्ति तथा 2% आई.जी.एस.टी.-अंतर्राज्यीय आपूर्ति) की दर से जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती सम्बन्धित व्यक्ति / फर्म / संविदाकार को नगद अथवा बैंक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है तथा उक्त कटौती की राशि को अगले माह 10 तारीख से पहले सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 दौरान चयनित माह 06/23 में आपूर्तिकर्ता को सामग्री की आपूर्ति के लिए **परिशिष्ट "ड."** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार **₹578259** (जी.एस.टी. को छोडकर) भुगतान किया गया था | लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा स्त्रोत पर **₹11565.18** की 2% जी.एस.टी. टी.डी.एस. के रूप में कटौती नहीं की गई थी जोकि नियमानुसार अनुचित प्रक्रिया है |

क्रम संख्या	**वित्तीय वर्ष**	**फर्म / व्यक्ति का नाम**	**क्रय सामान का विवरण**	**राशि (₹)**	**योग (₹)**	**जी.एस.टी.टी.डी.एस. की कटौती योग्य राशि (₹)**
1	2023-24	Sanjeev Kumar Vill. Daroh	रेत, बजरी	578259	578259	11565.18 (2% x578259)
				योग	**578259**	**11565.18**

अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 650/2024 दिनांक 02/08/2024 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या 05 दिनांक 03/08/2024 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित **₹11565.18** की जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती नियम का ज्ञान न होने के कारण नहीं की गई थी, जिसकी वसूली रसीद संख्या 15015 दिनांक 03.08.24 द्वारा करके पंचायत लेखे में जमा करवा दी गई है, जिसकी जमा बारे पुष्टि बैंक पास बुक से कर ली गई है | अत: उक्त कटौती की राशि को अविलम्ब

सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए|

9.3 स्व: स्त्रोत शीर्ष से ₹0.04 लाख का अधिक भुगतान करना :-

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/24 के व्यय वाउचरों की जांच दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के चयनित माह 06/23 में स्व: स्त्रोत निधि से **निम्नानुसार** निविदा आमंत्रित करने हेतु विज्ञापन पर **₹9035** का भुगतान किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 में **वर्णित Appendix-"A"** के क्रम संख्या 13 अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा केवल **₹5000** तक का भुगतान ही एक वित्तीय वर्ष में विज्ञापन पर किया जा सकता है अर्थात ग्राम पंचायत द्वारा **₹4035** का अधिक भुगतान विज्ञापन पर गया था | अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 644/2024 दिनांक 01/08/2024 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या 05 दिनांक 03/08/2024 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि अधिक भुगतान नियम का ज्ञान न होने के कारण किया गया था, जिसकी वसूली रसीद संख्या 15010 दिनांक 03.08.24 द्वारा करके पंचायत लेखे में जमा करवा दी गई है, जिसकी जमा बारे पुष्टि बैंक पास बुक से कर ली गई है |

क्रम संख्या	**वाउचर संख्या**	**माह**	**भुगतान योग्य राशि**	**भुगतान की गई राशि**	**अधिक भुगतान की गई राशि (₹)**
1	7, 8	06/23	5000	9035	4035

9.4 मनरेगा मद के अंतर्गत ₹0.03 लाख का अधिक भुगतान करना :-

ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के अंतर्गत व्यक्तिगत लाभार्थी के कार्यों के सम्बन्ध में स्वयं लाभार्थी को सामग्री का क्रय करना होगा। इस सम्बन्ध में निदेशक एवं आयुक्त मनरेगा ग्रामीण विकास विभाग के पत्र संख्या SMS-1/2021-22-RDD-Implementation-MGNREGA-5684-5808 दिनांक 25.05.2022 के अनुसार The amount of material component which is to be reimbursed in the account

of individual beneficiaries shall be restricted to the maximum of 40% of the actual total cost of the work by applying the following formula : **Actual unskilled labour cost × 2/3 = Material Cost I** परन्तु उक्त नियम की अवहेलना करते हुए **निम्न विवरणानुसार** सामग्री के रूप में **₹3080** का अधिक भुगतान किया गया था | इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 647/2024 दिनांक 01/08/2024 के प्रत्युत्तर में अपने पत्र संख्या 05 दिनांक 03/08/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली रसीद संख्या 15012 से 15014 दिनांक 03.08.24 द्वारा करके पंचायत लेखे में जमा करवा दी गई है, जिसकी जमा बारे पुष्टि बैंक पास बुक से कर ली गई है | अत: उक्त वसूल की गई राशि को मनरेगा खाता संख्या 4193000100031015 (State Head) में जमा करवाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए |

क्रम संख्या	**निर्माण कार्य का नाम**	**सामग्री की लागत / व्यय योग्य राशि**	**लाभार्थी को व्यय राशि (₹)**	**लाभार्थी को भुगतान योग्य राशि (₹)**	**लाभार्थी को अधिक भुगतान राशि (₹)**
1	C/O Cattle shed Pawan Kumar	(मस्ट्रोल संख्या 470 व 967) (16800+11200= 28000 × 2/3 = 18667)	19976	18667	1309
2	C/O Cattle shed Pritam singh	(मस्ट्रोल संख्या 473, 969 व 1704) (10080+2688+15232= 28000 × 2/3 = 18667)	20000	18667	1333
3	C/O RWHT Chetan Dass	(मस्ट्रोल संख्या 1569, 1710, 2693 व 2793) (10976+3808+17920+12215= 44919 × 2/3 = 29946)	30384	29946	438
				योग	**3080**

9.5 मनरेगा मद के अंतर्गत ₹0.01 लाख का अधिक भुगतान करना :-

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/24 के चयनित मास 06/2023 में व्यय वाउचरों की जाँच दौरान पाया गया कि मनरेगा शीर्ष के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रास्तों के निर्माण कार्यों हेतू प्रयोग की गई निर्माण सामग्री रेत, बजरी इत्यादि के क्रय हेतु व्यय निविदायें आमंत्रित करके किया गया था, जिसमें संजीव कुमार गांव डरोह से बजरी 20mm हेतु **₹1220** प्रति घन मीटर (जी.एस.टी. सहित) की दर से न्यूनतम दर की निविदा प्राप्त हुई थी, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा उक्त व्यक्ति को **₹1276** प्रति घन मीटर (जी.एस.टी. सहित) की दर से अर्थात् **₹56** प्रति घन मीटर की दर से अधिक भुगतान किया गया | इस प्रकार उक्त व्यक्ति को **निम्न विवरनानुसार ₹952** का अधिक भुगतान किया गया था | अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 651/2024 दिनांक 02/08/2024 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या 05 दिनांक 03/08/2024 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली रसीद संख्या 15008 दिनांक 03.08.24 द्वारा करके पंचायत लेखे में जमा करवा दी गई है, जिसकी जमा बारे पुष्टि बैंक पास बुक से कर ली गई है | अत: उक्त वसूल की गई राशि को मनरेगा खाता संख्या 4193000100031015 (State Head) में जमा करवाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए |

1	2	3	4	5	6	7	8 (4×7)
क्रम संख्या	**बिल संख्या**	**माह**	**मात्रा (घन मीटर)**	**भुगतान योग्य दर (₹) प्रति घन मीटर**	**भुगतान की गई दर (₹)**	**अन्तर (₹)**	**अधिक भुगतान की गई राशि (₹)**
1	316	06/23	12	1220	1276	56	672
2	312	06/23	2	1220	1276	56	112
3	314	06/23	3	1220	1276	56	168
						योग	**952**

9.6 निर्माण सामग्री से ₹0.01 लाख के वॉइड्स (Voids) की कटौती न करना :-

हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग (HPPWD) के नियम, सामग्री का परिवहन के अंतर्गत क्रम (2.1.2.13) में पत्थरों (Stone / boulders) की आपूर्ति में रिक्तियों (Voids) 12.5% की दर से रिक्तियों की कटौती करना निर्धारित है|

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/24 दौरान पंचायत की स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित) शीर्ष की रोकड़ बही की जाँच दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा माह 09/22 में संजीव कुमार गांव डरोह को 13 घन मीटर पत्थर की खरीद हेतु **₹490** प्रति घन मीटर की दर से **₹6370 का** भुगतान किया गया, लेकिन उक्त व्यक्ति को भुगतान करने से पूर्व Voids की 12.5 % की कटौती न करने के कारण **₹797 (6370×12.5%)** का अधिक एवं गलत भुगतान किया गया | अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 654/2024 दिनांक 03/08/2024 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या 05 दिनांक 03/08/2024 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली रसीद संख्या 15011 दिनांक 03.08.24 द्वारा करके पंचायत लेखे में जमा करवा दी गई है, जिसकी जमा बारे पुष्टि बैंक पास बुक से कर ली गई है |

क्रम संख्या	वॉउचर संख्या	माह	फर्म/ व्यक्ति का नाम	सामग्री	मात्रा (घन मीटर)	दर (प्रति घन मीटर)	राशि (₹)
1	26	09/22	Sanjeev Kumar VPO Daroh	पत्थर	13	490	6370

9.7 स्व: स्त्रोत शीर्ष से ₹0.01 लाख का अधिक भुगतान करना :-

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/24 दौरान पंचायत की स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित) शीर्ष की रोकड़ बही की के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत सचिव, श्री नरेश कुमार द्वारा चयनित माह 09/22 में **₹719** का व्यय अपने स्वयं

के मोबाईल के रिचार्ज पर किया गया था | अत: इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 645/2024 दिनांक 01/08/2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया कि किन नियमों के तहत यह व्यय मान्य एवं न्यायोचित है, के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या 05 दिनांक 01/08/2024 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि नियम का ज्ञान न होने के कारण **₹719** का किया गया था, जिसकी वसूली रसीद संख्या 15009 दिनांक 03.08.24 द्वारा करके पंचायत लेखे में जमा करवा दी गई है, जिसकी जमा बारे पुष्टि बैंक पास बुक से कर ली गई है |

क्रम संख्या	**वॉउचर संख्या**	**माह**	**राशि (₹)**
1	17	09/22	719

10.1 अग्रिम राशि ₹1.06 लाख समायोजन हेतू शेष :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 634/2024 दिनांक 29/07/2024 के क्रम संख्या 10 की अनुपालना में अपने पत्र संख्या 06 दिनांक 03/08/2024 द्वारा प्रदान की गई सूचना अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन बंगाणा को सीमेंट के क्रय हेतू **निम्नानुसार ₹105600** का अग्रिम प्रदान किया गया था, लेकिन दिनांक 31.03.24 तक उक्त राशि का समायोजन नहीं हुआ | अत: हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन बंगाणा से उक्त असमायोजित राशि **₹105600** को समायोजित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

क्रमांक	**शीर्ष का नाम**	बिल संख्या व दिनांक	**फर्म का नाम एवं पता जिसे अग्रिम जारी किया गया**	**सामान का विवरण**	**अग्रिम राशि (₹)**	**दिनांक 31/03/24 तक समायोजित राशि (₹)**	**दिनांक 31/03/24 तक समायोजन हेतु शेष राशि (₹)**
1	मनरेगा	056700 05.09.2022	HP STATE CIVIL SUPPLIES COR. LTD. Bangana	सीमेंट	105600	00	105600

10.2 वॉउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित न होना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अनुसार प्रत्येक वॉउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करना अनिवार्य है, जिस प्रस्ताव के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा व्यय प्राधिकृत किया गया था | परन्तु ग्राम पंचायत के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक उल्लेखित नहीं था, जिनके कुछ उदाहरण निम्न प्रकार से है। अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 652/2024 दिनांक 02/08/2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 05 दिनांक 03/08/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में प्रत्येक वॉउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करने के उपरांत ही भुगतान किया जाएगा |

क्र० सं०	शीर्ष का नाम	बिल संख्या व दिनांक	सामग्री का नाम	राशि (₹)
1	Own & GIA (consolidated)	41, 28.06.22	Sand, agg etc	49870
2	Own & GIA (consolidated)	43, 26.07.22	Sand, agg etc	30400
3	Own & GIA (consolidated)	18, 15.09.22	Mobile recharge	719
4	Own & GIA (consolidated)	1931, 22.09.22	Stationery	740
5	Own & GIA (consolidated)	42, 01.07.22	Sand, agg. etc	39648

11 विहित रजिस्टरों का रख-रखाव न करना :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 635/2024 दिनांक 29/07/2024 द्वारा पंचायत सचिव से निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की, जिसे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002

के अंतर्गत बनाया जाना वांछित था। प्रतिउत्तर में सचिव, द्वारा अपने पत्र संख्या 07 दिनांक 03/08/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत द्वारा इन रजिस्टरों / अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया जा रहा है। यह अनियमित व आपत्तिजनक है | अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

क्रम संख्या	रजिस्टर / अभिलेख	फार्म संख्या	संदर्भित नियम
1	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
2	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29(1)
3	गृहकर मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
4	बजट प्राकलन	11	37
5	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
6	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(1)
7	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1)
8	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)
9	बैंक समाधान विवरणी	--	7 (3) व 10 (1)
10	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	--	103
11	माप पुस्तिकाओं का अनुरक्षण रजिस्टर	--	101(2)(v)

12 प्रत्यक्ष सत्यापनः-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 634/2024 दिनांक 29/07/2024 के क्रम संख्या 7 की अनुपालना में अपने पत्र संख्या 06 दिनांक 03/08/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/24 तक स्टोर / स्टॉक का भौतिक सत्यापन ग्राम पंचायत द्वारा नहीं करवाया गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है |

अतः इस सन्दर्भ में आपको परामर्श दिया जाता है कि अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर आगामी अंकेक्षण पर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13 **लघु आपत्ति विवरणिका:-** इसे अलग से जारी नहीं किया गया है।

14 **निष्कर्ष:-** लेखों में सुधार की अत्यधिक आवश्यकता है।

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

28 SEP 2024

4688–4692 का0 ग्र0

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(5)110/2024–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी ऊना, जिला ऊना, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना (हि0प्र0)।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत चमयाड़ी, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

28 SEP 2024

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

का0/ग्र0

परिशिष्ट "क" पैरा संख्या 4 क में संदर्भित

ग्राम पंचायत चमयाडी, विकास खण्ड बंगाणा व जिला ऊना हिमाचल प्रदेश

संकलित वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	2698751.75	5236485	7935236.75	5344127	2591109.75
2	2023-24	2591109.75	3554882.64	6145992.39	3729395.64	2416596.75

पंचायत सचिव,
ग्राम पंचायत चम्याड़ी
वि.ख. बंगाणा जिला ऊना हि.प्र.

ग्राम पंचायत चमयाडी, विकास खण्ड बंगाणा व जिला ऊना हिमाचल प्रदेश

स्वयं स्त्रोत व अनुदान (15वां वित्तायोग सहित समेकित)Online की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक						
1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	2698751.75	2233952	4932703.75	2341594	2591109.75
2	2023-24	2591109.75	800928	3392037.75	975441	2416596.75

स्वच्छ भारत मिशन (PFMS) Online की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	0	289538	289538	289538	0
2	2023-24	0	99980	99980	99980	0

मनरेगा (Online) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	0	2712995	2712995	2712995	0
2	2023-24	0	2653974.64	2653974.64	2653974.64	0

पंचायत सचिव,
ग्राम पंचायत चमयाड़ी
वि.ख. बंगाणा जिला ऊना (हि.प्र.)

24

1)	दिनांक 31.03.24 को रोकड़ बही खाता पैरा 4(क) का अंतशेष	2416596.75
2)	दिनांक 31.03.24 को बैंक का अन्तशेष (परिशिष्ट क-1)	**2415906.75**
3)	दिनांक 31.03.24 को हस्तगत राशि	665.00
4)	**योग (2+3)**	**2416571.75**
5)	**अन्तर (4-1)**	**25.00**

पंचायत सचिव,
ग्राम पंचायत बस्याड़ी
वि.ख. बंगाणा जिला ऊना (हि.प्र.)

परिशिष्ट क-1 पैरा संख्या 4(ख) में संदर्भित

दिनांक 31.03.24 को बैंक शेष व हस्तगत राशि का अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि (₹)
1	KCCB Bangana (OWN & GIA)	20034024161	737195.00
	UCO Bank Lathiyani (15th fc)	11890110055540	1606191.75
	HDFC Bangana (SBM)	50100659143797	72520.00
		योग	**2415906.75**
2		**हस्तगत राशि (स्व: स्त्रोत व अनुदान)**	665.00
		योग (1+2)	**2416571.75**

पंचायत सचिव,
ग्राम पंचायत चम्याड़ी
वि.ख. बंगाणा जिला ऊना (हि.प्र.)

परिशिष्ट 'ख' पैरा संख्या 7.1(क) में सन्दर्भित

ग्राम पंचायत चमियाडी विकास खंड बंगाणा जिला ऊना (हि०प्र०)

दिनाकं 31/03/24 तक गृह कर के रूप में वसूली हेतु शेष राशि

क्रम संख्या	प्रारम्भिक शेष (रु)	मांग (रु)	कुल योग (रु)	प्राप्ति (रु)	वसूली हेतु शेष राशी (रु)
2022-23	0.00	12420.00	12420.00	0.00	12420.00
2023-24	12420.00	12420.00	24840.00	360.00	24480.00

पंचायत सचिव,
ग्राम पंचायत चम्याड़ी
वि.ख. बंगाणा जिला ऊना (हि.प्र.)

परिशिष्ट 'ग'　　पैरा संख्या 7.2 में सन्दर्भित

ग्राम पंचायत चमियाडी विकास खण्ड बंगाणा जिला ऊना (हि० प्र०)

शादी पंजीकरण रिपोर्ट 04-22 से 03-24

क्रम संख्या	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	रसीद संख्यां	वसूली योग्य राशी	वसूली गई राशी	वसूली हेतु शेष राशी
1	सुनील कुमार सपुत्र रत्तन चंद गाँव सरोह	19-04-22	12-05-22	859258	200	200	0.00
2	जसविंदर सिंह सपुत्र हरिदास गाँव चम्याडी	02-05-22	12-05-22	859259	200	200	0.00
3	बलवीर सिंह सपुत्र रामरखा गाँव रच्छोह	10-03-21	12-06-22	859264	400	400	0.00
4	रिशव ठाकुर सपुत्र सुरेश कुमार गाँव वसातर	03-07-21	11-07-22	859270	200	200	0.00
5	बलविंदर सिंह सपुत्र अजीत सिंह गाँव डरोह	27-09-22	14-10-92	859288	200	200	0.00
6	अक्षय कुमार सपुत्र प्रकाश चंद गाँव रच्छोह	24-12-22	24-12-22	859298	200	200	0.00
7	सुनील कुमार सपुत्र कर्म चंद गाँव चम्याडी	28-01-23	24-02-23	859808	200	200	0.00
8	कपिल सपुत्र रणजीत गाँव बरोटी	22-02-23	25-03-23	859815	400	400	0.00
9	शुभम सपुत्र अजय कुमार गाँव सरोह	25-03-21	29-03-23	859816	400	400	0.00
10	जसवीर सिंह सपुत्र रोशन लाल गाँव वसातर	25-08-22	29-03-23	859817	400	400	0.00
11	नवदीप सिंह सपुत्र यशवंत सिंह गाँव सुकनेहडा	12-05-23	24-05-23	859824	200	200	0.00
12	मनजीत सिंह सपुत्र अश्वनी कुमार गाँव खेडी	28-05-23	05-06-23	859825	200	200	0.00
13	जगदीप सपुत्र सुरजीत सिंह गाँव वसातर	21-05-23	07-06-23	859826	200	200	0.00
14	चंद्रकांत सपुत्र अमरनाथ गाँव सरोह	26-06-23	18-07-23	859829	200	200	0.00
15	रजनीश कुमार सपुत्र वलवीर सिंह गाँव चम्याडी	29-11-23	12-12-23	859867	200	200	0.00
16	विशाल सिंह सपुत्र राकेश कुमार गाँव वसातर	07-12-23	19-12-23	859871	200	200	0.00
17	गुलशन कुमार सपुत्र वहादुर सिंह गाँव सरोह	04-02-24	14-02-24	859688	200	200	0.00
18	प्रिंस कुमार सपुत्र हरवंस सिंह गाँव सरोह	31-01-24	19-02-24	859887	200	200	0.00
19	सतवंत सिंह सपुत्र सुरजीत सिंह गाँव डरोह	12-03-24	09-04-24	859893	200	200	0.00
			कुल योग		4600	4600	0.00

पंचायत सचिव,
ग्राम पंचायत चम्याडी
वि.ख. बंगाणा जिला ऊना (हि.प्र.)

परिशिष्ट 'ध'

पैरा संख्या 9.1 में सन्दर्भित

ग्राम पंचायत चमयाडी विकास खण्ड बंगाणा जिला ऊना (हि० प्र०)

सामग्री (रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि) 04-22 से 03-24 के माह 09-22 व 06-23

क्रम संख्या	योजना	वाउचर संख्या/माह	कार्य का नाम	विल संख्या/ दिनांक	आपूर्तिकर्ता	सामग्री	मात्रा (क्यूबिक मीटर में)	कन्वर्जन फैक्टर	मात्रा (टनों में)	दर (प्रति टन)	देय रॉयलटी
1	VKVNY	26(09/22	निर्माण पक्का पाथ लिंक रोड से डरोह राकेश कुमार के घर की और	27/07-10-21	Sanjeev Kumar Vill Daroh	रेत	12	1.62	19.44	80	1555.2
						बजरी	16	1.52	24.32	80	1945.6
2	SDP	28(09/22	निर्माण लिंक रोड H/O अशोक कुमार के घर से मेन रोड सरोह	42/01/07/22	DO	रेत	9	1.62	14.58	80	1166.4
						बजरी	17	1.52	25.84	80	2067.2
3	SDP	34(09/22	निर्माण लिंक रोड मेन रोड H/O अशोक कुमार शहीद अनिल कुमार	43/27-07-22	DO	बजरी	18	1.52	27.36	80	2188.8
4	SDP	34(09/22		41/28-06-22	DO	रेत	18	1.62	29.16	80	2332.8
						बजरी	18	1.52	27.36	80	2188.8
5	VKVNY	01(06-23	निर्माण पक्का रास्ता की ओर रिटेनग वाल नजदीक घर प्रकाश चन्द गांव सरोह-	80/25-02-22	DO	बजरी	32	1.52	48.64	80	3891.2
6	Mgnrega	Jun-23	निर्माण तालाव पंचवटी रच्छोह	307/07-09-22	Sanjeev Kumar Vill	रेत	10	1.62	16.2	80	1296
						बजरी	19	1.52	28.88	80	2310.4
7	Mgnrega	Jun-23	निर्माण लिंक रोड H/O अशोक कुमार to मेन रोड गाँव सरोह	308/05-12-22	DO	रेत	29	1.62	46.98	80	3758.4
				309/05-12-22	DO	बजरी	45	1.52	68.4	80	5472
8	Mgnrega	Jun-23	निर्माण पक्की नाली भूपिंदर सिंह के खेत से केरू तक गाँव सरोह	312/06-12-22	DO	रेत	12.77	1.62	20.6874	80	1654.992
						बजरी	22	1.52	33.44	80	2675.2
9	Mgnrega	Jun-23	निर्माण साईकलोन शैल्टर सरोह चौंक	314/06-12-22	DO	रेत	7.47	1.62	12.1014	80	968.112
						बजरी	13	1.52	19.76	80	1580.8
10	Mgnrega	Jun-23	कम्पलीशन लिंक रोड मेन रोड से मुख्त्यारी देवी के घर तक गाँव चमियाडी	315/06-12-22	DO	रेत	38	1.62	61.56	80	4924.8
				316/06-12-22	DO	बजरी	35	1.52	53.2	80	4256

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत चमयाडी
वि.ख. बंगाणा जिला ऊना (हि.प्र.)

29

परिशिष्ट 'ङ' पैरा संख्या 1.2 में सन्दर्भित

ग्राम पंचायत चमियाडी विकास खण्ड बंगाणा जिला ऊना (हि० प्र०)

माह 06/23 में संजीव कुमार गाँव डरोह को किया गया भुगतान निम्न प्रकार से है

क्रम संख्या	मद	कार्य का नाम	विल संख्या/ दिनांक	राशी
1	VKVNY	निर्माण पक्का रास्ता की ओर रिटेनग वाल नजदीक घर प्रकाश चन्द	80/25-02-22	38172.00
2	Mgnrega	निर्माण तालाव पंचवटी रच्छोह	307/07-09-22	32327.00
3	Mgnrega	निर्माण लिंक रोड H/O अशोक कुमार to मेन रोड गाँव सरोह	308/05-12-22	32219.00
			309/05-12-22	48105.00
			310/05/12/22	39387.00
4	Mgnrega	निर्माण पक्की नाली भूपिंदर सिंह के खेत से केरू तक गाँव सरोह	312/06-12-22	38119.00
			313/06-12-22	23000.00
5	Mgnrega	निर्माण साईकलोन शैल्टर सरोह चौंक	314/06-12-22	24817.00
6	Mgnrega	कम्पलीशन लिंक रोड मेन रोड से मुख्त्यारी देवी के घर तक गाँव चमियाडी	315/06-12-22	42218.00
			316/06-12-22	45849.00
7	Mgnrega	निर्माण डंगा ज्ञान सिंह (बरोटी) डरोह	190/05/01/23	14751.00
8	Mgnrega	निर्माण लिंक रोड कड़ाये दा चो रियाला गाँव सुखनेहडा	317/02-03-23	38580.00
			318/03-03-23	46360.00
9	Mgnrega	निर्माण एम्बुलेंस रोड महिला मण्डल डरोह से हरिजन बस्ती	319/05-03-23	44310.00
			320/05-03-23	45780.00
10	Mgnrega	निर्माण डंगा नजदीक घर बंसी लाल सपुत्र जट्टू राम गाँव डरोह	323/20-03-23	12918.00
11	Mgnrega	निर्माण डंगा नजदीक घर धर्म सिंह पुत्र रामा राम गाँव डरोह	324/20-03-23	11347.00
			कुल योग	578259.00

पंचायत सचिव,
ग्राम पंचायत चमियाडी
वि.ख. बंगाणा जिला ऊना (हि.प्र.)